

न्यायालय जिला कलक्टर, झुझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 332/2022

नवीन कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह, निवासी झाझडिया की ढाणी, पोस्ट काकोडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुझुनू  
पिन कोड 333029, मो0न0 9571053871

बनाम


लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) सूरजगढ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 27.10.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.10.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 332/2022 पर दिनांक 07.10.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) सूरजगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4947-48 दिनांक 07.10.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) सूरजगढ ने पत्रांक आर0टी0आई/2022/235 दिनांक 17.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.08.2022 को आवेदक का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने के लिए प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2022/2199 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार के तहत निम्न सूचनायें चाही गई है 1. तहसील कार्यालय से जारी वारिसनामा और सतेन्द्र द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की कॉपी भेजे। 2. खाता संख्या 41 में काश्तकार सतेन्द्र पुत्र होशियार सिंह 1/192 एवं काश्तकार कमला पुत्री होशियार सिंह 1/192 भाग भाई-बहिन के रिश्ते में अपने पिता से मृत्यु के बाद पा रहे है। होशियार सिंह की मृत्यु पश्चात् विरासत् नामान्तरकरण संख्या 46 में कमला का नाम नहीं है। बेटे सतेन्द्र और पत्नि फूल देवी का है। इसलिए इकलौता वारिस शपथ पत्र पेश किया गया होगा। वारिसनामा प्राप्त करने के लिए अगर तहसील कार्यालय में नहीं बनवा तो स्पष्ट नहीं का जबाब दें। दी गई सूचना आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पटवारी हल्का काकोडा से जांच रिपोर्ट ली गई जो निम्न प्रकार है 1. बिन्दू सं0 1 के संबंध में पटवारी हल्का काकोडा के पास तहसील कार्यालय से जारी वारिसनामा व सतेन्द्र द्वारा जारी सत्यापित शपथ पत्र उपलब्ध नहीं है। 2. बिन्दू सं0 2 के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 46 के साथ सलंग्न दस्तावेजों में कोई शपथ पत्र सलंग्न नहीं है तथा न ही तहसील कार्यालय से जारी वारिसनामा सलंग्न है। प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) सूरजगढ ने पत्रांक आर0टी0आई/2022 दिनांक

  
जिला कलक्टर झुझुनू




12

17.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.08.2022 को आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने के लिए प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2022/2199 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार के तहत निम्न सूचनायें चाही गई है 1. तहसील कार्यालय से जारी वारिसनामा और सतेन्द्र द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की कॉपी भेजे। 2. खाता संख्या 41 में काश्तकार सतेन्द्र पुत्र होशियार सिंह 1/192 एवं काश्तकार कमला पुत्री होशियार सिंह 1/192 भाग भाई-बहिन के रिश्ते में अपने पिता से मृत्यु के बाद पा रहे हैं। होशियार सिंह की मृत्यु पश्चात् विरासत नामान्तरकरण संख्या 46 में कमला का नाम नहीं है। बेटे सतेन्द्र और पत्नी फूल देवी का है। इसलिए इकलौता वारिस शपथ पत्र पेश किया गया होगा। वारिसनामा प्राप्त करने के लिए अगर तहसील कार्यालय में नहीं बनवा तो स्पष्ट नहीं का जबाब दें। दी गई सूचना आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पटवारी हल्का काकोडा से जांच रिपोर्ट ली गई जो निम्न प्रकार है 1. बिन्दू सं0 1 के संबंध में पटवारी हल्का काकोडा के पास तहसील कार्यालय से जारी वारिसनामा व सतेन्द्र द्वारा जारी सत्यापित शपथ पत्र उपलब्ध नहीं है। 2 बिन्दू सं0 2 के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 46 के साथ सलंगन दस्तावेजों में कोई शपथ पत्र सलंगन नहीं है तथा न ही तहसील कार्यालय से जारी वारिसनामा सलंगन है। प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल0एस0कुडी )  
जिला कलेक्टर सुडुबु